

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला निर्वाचन शाखा)

आदेश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सरकार के सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक- ब0-2/आ0(105-0001)-04/2018 निर्वा0-53/आ0, दिनांक - 15.03.2019 के द्वारा मुख्य शीर्ष-2015- निर्वाचन-00-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-0001-लोक सभा निर्वाचन की विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय इकाई मद में ₹ 3,00000 (तीन लाख) रुपये मात्र आवंटन प्राप्त हुए हैं जिसे निम्नलिखित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उनके सामने स्तम्भ (4) में अंकित राशि उपावंटित की जाती है :-

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	0001.13.01 कार्यालय व्यय		
		वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्व आवंटित राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्तमान में आवंटित की जा रही राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्तमान आवंटन को मिलाकर कुल आवंटित राशि (₹ में)
1	2	3	4	5
1	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	1100000.00	300000.00	1400000.00
	योग:-	1100000.00	300000.00	1400000.00

2. उपावंटित राशि का व्यय मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन-00-105 संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 0001- लोक सभा निर्वाचन, विषय शीर्ष 0001.13.01 कार्यालय व्यय में वित्तीय वर्ष 2018-19 में तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपावंटित राशि मांग संख्या-06 एवं विपत्र कोड-06-2015001050001 है।

4. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 दिनांक 17.04.1998, पत्रांक- 251/वि0 दिनांक- 27.02.2018, पत्रांक -354/वि0 दिनांक-28.03.2018 एवं पत्रांक- को0प्र0/कम्प्यूटर-07/2015-6903 दिनांक- 13.09.2018 एवं पत्रांक-224 दिनांक-12.02.2019 के आलोक में आवंटित है।

5. भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों/वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेशों तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।


6. (i) यह राशि आगामी लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 की तैयारी के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के भुगतान हेतु उपावंटित है। इस उपावंटित राशि में से पूर्व वित्तीय वर्षों के लंबित दायित्व का भुगतान नहीं किया जायेगा। तदालोक में नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

(ii) उपावंटित राशि की निकासी कर बैंक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा नियमानुसार जाँचकर भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. आवंटित राशि के व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भेजना सुनिश्चित किया जाये।

9. इस आवंटन आदेश की सभी पृष्ठ अधोहस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित है।


22/03
जिला निर्वाचन पदाधिकारी

—सह—

जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: 811 / नि०, दिनांक: 23/03/2019

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


22/03
जिला निर्वाचन पदाधिकारी

—सह—

जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

ज्ञापांक: 811 / नि०, दिनांक: 23/03/2019

प्रतिलिपि: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार,—सह—सरकार के सचिव बिहार पटना के पत्रांक: 53/आ०, दिनांक - 15.03.2019 के आलोक में सादर सूचनार्थ प्रेषित।


22/03
जिला निर्वाचन पदाधिकारी

—सह—

जिला पदाधिकारी, मुंगेर।